

चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश

—चकबन्दी आयुक्त डा० हृषिकेश भास्कर 'यशोद'

लखनऊ : 01 अक्टूबर, 2026

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में कृषकों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। इस संबंध में चकबन्दी आयुक्त डा० हृषिकेश भास्कर यशोद द्वारा ग्रामों किसी के विकास, ग्रामों में तेजी से शहरीकरण होने, नदी के कटान से प्रभावित होने, चकबन्दी योग्य क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से कम होने, ग्राम के औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाने, ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया सुचारु रूप से कराये जाने हेतु किये गये विशेष प्रयास के बावजूद कार्य आगे न बढ़ पाने के दृष्टिगत उक्त ग्रामों को अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त क्रम में 14 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत जनपद बदायूं के ग्राम पिण्डौल व बेहटा गुसाई, 12 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियाधीन जनपद सम्भल के ग्राम मैथरा आलपुर, सादातबाड़ी, लहरावन, बिसारु, जनपद बांदा के ग्राम हटेटीपुरवा, जनपद उन्नाव के ग्राम चकरसूलपुर, मुण्डा, नाजिरपुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग, नहरा, अर्की एवं 02 वर्ष से चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत जनपद बांदा के ग्राम रामनगर निस्फ एवं जनपद अमरोहा के ग्राम सिरसा गूजर ऐ० व सतेडा ऐ० सहित 06 जनपदों के 16 ग्रामों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया गया है।

इसके अतिरिक्त 34 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियाधीन जनपद आजमगढ़ के ग्राम कुंजी एवं 12 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियाधीन जनपद मीरजापुर के ग्राम बबुरा कला में नियमित अनुश्रवण कर जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण की गयी। प्रारम्भिक चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान गाटों में चकबन्दी पृथक भू-भाग के स्वत्व के सम्बन्ध में सम्यक विनिश्चय किये जाने एवं जोत चकबन्दी अधिनियम/मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार गाटों का विनिमय अनुपात निर्धारित किये जाने के निर्देश समस्त चकबन्दी प्राधिकारियों को दिये गये हैं।

सम्पर्क सूत्र— शिखा अवस्थी

राघवेन्द्र / 07:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई०पी०बी०एक्स०: 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssoचना@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in